

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023—अग्रहायण 3, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2023

क्र. ई-1-198-2023-5-एक.—श्री गणेश शंकर मिश्रा, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023

क्र. ई. एफ.-1658219-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री विनीत कपूर, भापुसे, पीएस टू डीजीपी, पु. मु., भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक, कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 25-27 नवम्बर 2023 के विज्ञापित अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में Ecuador south America (यूनाइटेड नेशन) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पीएस टू डीजीपी, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

8701

(3) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5346-इक्कीस-ब (एक)-2023.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3क के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम (3) में दर्शित न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिला एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	जिला	न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"1.	इन्दौर	डॉ. लखन लाल गोस्वामी, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर."

F. No. 5346-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification No. F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B(1)-1888-19 dated 2nd April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under section 3A of the said Act, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a Judge of Commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :—

TABLE

S. No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Dr. Lakhan Lal Goswami, VII District & Additional Sessions Judge, Indore."

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2023

क्र. 18654-3228-इक्कीस-अ (स्था)-गोप.-2023.—कार्यालयीन आदेश क्र. 16601-3228-इक्कीस-अ(स्था)-गोप.-2023, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 द्वारा श्री सुशील कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति उपरांत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र अनुसार निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन, नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। उनके वेतन आहरण के लिए त्रुटिवश मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्यसेवाएं(090)-सचिवालय-योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा, अंकित हो गया है उसके स्थान पर व्यय मांग संख्या-29, मुख्यशीर्ष 2014-114-विधि परामर्शी, 3428-महाधिवक्ता, की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा पढ़ा जाए।

आदेश के शेष भाग यथावत् रहेंगे।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5453-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक गुप्ता, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर में डॉ. रमेश साहू की दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप एतद्वारा, पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है। वे उक्त कार्य के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, अलिराजपुर में प्रत्येक माह में 2 दिवसों के लिए श्रृंखला न्यायालय का आयोजन भी करेंगे।

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 5460-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अनीश कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर एतद्वारा, पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है। वे उक्त कार्य के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, अलिराजपुर में प्रत्येक माह में 2 दिवसों के लिए श्रृंखला न्यायालय का आयोजन भी करेंगे।

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5452-इक्कीस-ब (एक)-2023.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

क्र.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
"27.	रायसेन	श्रीमती वर्षा शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायसेन."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 5452-XXI-(B-1)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following farther amendment in this department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 27 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
"27.	Raisen	Smt. Varsha Sharma, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Raisen."

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023

क्र. एफ 1-5-3-0001-2023-सात-4.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में राजस्व विभाग के स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करता है:-

अनुसूची-एक

(1) राजस्व विभाग

अनुसूची-दो																								
दिव्यांगजनों के लिए चिन्होक्ति पदों की जानकारी																								
विभाग का नाम - राजस्व विभाग																								
शासकीय/अर्थाशासकीय/निगम/मण्डल/स्वायत्त संस्थान/निकाय/विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं का नाम																								
पद की श्रेणी	पद का नाम	पदों की संख्या	संवर्णन	संवर्णन की श्रेणी	संवर्णन के अंतर्गत पदों की संख्या	संवर्णन के अंतर्गत पदों की श्रेणी	संवर्णन के अंतर्गत पदों की संख्या	संवर्णन के अंतर्गत पदों की श्रेणी	संवर्णन के अंतर्गत पदों की संख्या	संवर्णन के अंतर्गत पदों की श्रेणी	संवर्णन के अंतर्गत पदों की संख्या	संवर्णन के अंतर्गत पदों की श्रेणी	संवर्णन के अंतर्गत पदों की संख्या											
														संवर्णन के अंतर्गत पदों की श्रेणी	संवर्णन के अंतर्गत पदों की संख्या									
1	वृत्तीय श्रेणी	2	नायब तकरीदार	3 (ए)	586	159	45	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
वृत्तीय श्रेणी	वृत्तीय श्रेणी	745	24224	3 (बी)	159	45	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	31.12.2024	
वृत्तीय श्रेणी	वृत्तीय श्रेणी	3657	3594	3 (सी)	6894	1453	0	0	0	0	484	362	122	484	357	127	484	358	115	1452	1088	364	31.12.2024	
वृत्तीय श्रेणी	वृत्तीय श्रेणी	238	184	3 (डी)	93	221	74	74	74	0	74	74	0	0	0	0	73	73	0	221	221	0	31.12.2024	
वृत्तीय श्रेणी	वृत्तीय श्रेणी	44	24	3 (ई)	54	14	5	5	5	0	4	4	0	0	0	0	5	5	0	14	14	0	31.12.2024	
वृत्तीय श्रेणी	वृत्तीय श्रेणी	876	545	3 (एफ)	22263	7551	106	98	9	5	14	5	9	13	3	10	12	0	12	53	17	36	विभागाध्यक्ष पद पर पद पूर्ति की जाती है।	
TOTAL		25914	22263	7551	1789	455	134	507	368	140	586	458	128	1788	1379	409								

दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 13891-रा.प्र.क्र.-0001-अ-82-2022-23-कीरतपुर

नर्मदापुरम, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम कीरतपुर	तहसील इटारसी	जिला नर्मदापुरम	
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	निजी भूमि इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु	1.111	0.086

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	राकेश वलद फूलसिंह, संजू वलद फूलसिंह, गीता पुत्री फूलसिंह, सीता पुत्री फूलसिंह, सविता पुत्री फूलसिंह, बबीता पुत्री फूलसिंह, अनुसुईया पत्नि बलराम, राजकुमार नाबा0 बलराम, दिलीप नाबा0 बलराम, पूजा नाबा0 बलराम वली मॉ अनुसुईया, सतवती पुत्री चेतू, सरस्वती पुत्री चेतू पता सा.देह भूमिस्वामी	174	0.263	0.036	-
		175	0.024	0.024	-
		कुल रकबा	0.287	0.060	-
2	विन्सेंट पिता जोसफ पता कीरतपुर इटारसी	177/2	0.824	0.026	-
	योग-	-	1.111	0.086	-

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 8394-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 20 नवम्बर 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

1. ग्राम का नाम :- घोघरी प.ह.न.-12/14
 2. रा.नि.मं. :- चमारीखुर्द तहसील:- छपारा जिला - सिवनी
 3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर

क्र.	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	17	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	शिवशंकर, संतोष, किरण, सरोज,सुमन, निशा, मीना पिता फत्तूलाल जाति अग्रवाल पता सिवनी भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	रास्ता	स्वयं की शेष भूमि	ममता ठाकुर की भूमि	-	-	-	-
योग	1			0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8395-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

1. ग्राम का नाम :- भिलमा प.ह.न.-83
 2. रा.नि.मं. :- लखनादौन तहसील:- लखनादौन जिला - सिवनी
 3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर

क्रं.	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हे० अर्जन का क्षेत्र हे०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	187/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	भैयाजी, मूलचंद, सिलोचना, गौराबाई पिता शारदाप्रसाद बिट्टीबाई बेवा शारदाप्रसाद जाति लोधी पता भिलमा लखनादौन भूमिस्वामी	रास्ता(शासकीय)	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शामिल खाते की भूमि	-	-	-	-
योग	1			0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8397-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित राशय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

1. ग्राम का नाम :- मारबोडी प.ह.न.-18
 2. रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:- सिवनी जिला - सिवनी
 3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर

क्र.	संरक्षण सं०	स्थामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	833	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	मोहनलाल पिता डोगरू उर्फ गनेशा अवधलाल राजवती गुड्डी रमानपुरी तिजिया पिता रामलाल इन्द्रा बेवा रामलाल सहसलाल बेनीराम सहजपुरी फूलकली पिता तामू सीमा बेवा पंचमलाल कार्तिक पूर्वी पिता पंचमलाल सुरभि नाबालिग पिता पंचमलाल संरक्षक सीमा जाति अहीर पता मारबोडी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी का शेष रकबा	भूमिस्वामी का शेष रकबा	सड़क	भूमिस्वामी का शेष रकबा	पलास वृसंग	4 1	-	-
योग	1			0.31	-	-	-	-	-	-	5	-	-

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

रा. प्र. क्र. 0094-अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5474

हरसूद, दिनांक 20 नवम्बर 2023

प्ररूप-“घ”
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1842/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पलानी माल, प.ह.न.-28, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी माल, प.ह.न.- 28	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			209/2	0.007
			209/1	0.008
			210/1	0.001
			208/4	0.019
		208/3	0.012	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28	221	0.002 0.009 0.001
			224	0.001 0.006
			220	0.004
			215/5	0.007
			215/3	0.005
			257/1	0.002 0.002
			258/1	0.004
			259/2/1	0.006
			259/1	0.004
			262/4	0.007
			262/1	0.001
			262/3	0.009
			266/1	0.006
			266/2	0.003
			268/3	0.001
			225	0.003
			223/1	0.005
			223/3	0.004
			232	0.001
			247	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28	248	0.002
			249/2	0.013
			249/3	0.007
			243	0.008
योग निजी भूमि			29	0.172
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			207/1	0.001
			211/1	0.001
			231/1	0.001
				0.001
			266/4	0.002
			266/5	0.005
250	0.001			
योग शासकीय भूमि			06	0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			35	0.184

रा. प्र. क्र. 0112-अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5471

प्ररूप-“घ”
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन 2012) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1869/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -सोनखेड़ी, प.ह.न.-31, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- सोनखेड़ी, प.ह.न.- 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			228/1	0.005
			197/1	0.001
			202	0.005
			196	0.015
		266/1	0.002	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— सोनखेड़ी, प.ह.नं.— 31	266/2	0.001
			225/1	0.001
			270	0.001
			272	0.003
			271	0.001
			395/1	0.008
			395/2	0.003
			394/2	0.012
			393/2	0.004
			391	0.007
			392/2	0.007
			392/3	0.001
			359	0.005
			364	0.001
			357	0.007
योग निजी भूमि			20	0.090
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— सोनखेड़ी, प.ह.नं.— 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			220	0.001
			260/1	0.019
				0.008
			261	0.007
				0.001
			262	0.001
				0.004
			263	0.001
				0.001
			264	0.004
			268	0.001
			269	0.007
			396	0.012
			360	0.003
361	0.010			
356	0.011			
78	0.001			
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— सोनखेड़ी, प.ह.नं.— 31	355	0.007
			80	0.001
			79	0.019
			71	0.002
योग शासकीय भूमि			17	0.122
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			37	0.212

रा. प्र. क्र. 0078-अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5483

प्ररूप-“घ”
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 अर्जन-2012) से इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1791/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			239/2	0.004
			239/1	0.010
			238/1	0.005
			242	0.002
		238/2	0.004	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.—34,	237/1	0.003
			236/3	0.005
			243	0.007
			235/1	0.015
			248	0.001
			250/7	0.002
			250/4	0.009
			251/1	0.001
			250/6/1	0.001
			250/6/2	0.011
			250/2	0.008
			250/5	0.008
			252/1/1	0.003
			252/1/2	0.006
			252/7	0.001
			252/3	0.014
			252/2	0.015
			226/1	0.024
			223/2	0.001
			223/1	0.010
			223/3	0.013
			223/4	0.010
			223/5	0.006
			219	0.003
			208/1	0.026
			123/1	0.024
			4/1/2	0.025
			4/3	0.004
			4/4	0.020
			2	0.024 0.009
			15/2	0.015
			15/1	0.010
16/3	0.017			
योग निजी भूमि			38	0.376

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			240	0.001
			244	0.001
			218	0.001
			216	0.003
			209/1	0.005
			173/2	0.001
			212	0.003
			3	0.001
योग शासकीय भूमि			08	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			46	0.392

रा. प्र. क्र. 0103-अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5480

प्ररूप-“घ”

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सम्पत्त 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1803/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			389/2	0.001
			388/1	0.004
			388/3	0.005
			388/2	0.014
			387/1	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,	420	0.021
			419/1/1	0.008
			419/1/2	0.004
			419/2	0.006
			419/3	0.002
			419/4	0.001
			431	0.008
			437/2	0.013
			427/1	0.001
			436/3	0.015
			436/2	0.014
			436/1	0.012
			437/1	0.010
			430/1	0.001
			423	0.001
			422/3	0.003
			422/2	0.003
			422/1	0.009
			380	0.009
			381	0.015
योग निजी भूमि			25	0.203
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			421	0.001
				0.001
			434	0.001
			456/2	0.012
			456/1	0.012
455	0.007			
योग शासकीय भूमि			05	0.034
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			30	0.237

रा. प्र. क्र. 0083-अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-5477

प्ररूप-“घ”

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सं. 2013) (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1833/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजांल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पलानी रैय्यत, प.ह.न.-28, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी रैय्यत, प.ह.न.- 28,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			111/4	0.003
			111/3	0.003
			111/5	0.004
			111/1	0.003
योग निजी भूमि			04	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी रैयत, प.ह.नं.- 28	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			109/2	0.001
योग शासकीय भूमि			01	0.001
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			05	0.014

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद, दिनांक 9 सितम्बर 2023

प्ररूप "च"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. क.-वा-1-भू-अर्जन-2023-4363-रा.प्र.क्र. 0010-अ-59-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3512-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023, हरसूद, दिनांक 6 जुलाई 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-02 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-मौजवाड़ी रैय्यत, प. ह. नं. 42, तहसील-खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	मौजवाड़ी रैय्यत, प.ह.न. 42	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण	
			14/2	0.009
			16/5	0.006
			16/4	0.005
			18	0.021
			20/1	0.012
			20/2	0.004
			19	0.005
			28/4	0.002
			28/1	0.025
			228/3	0.007
			228/1	0.008
			228/2	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			251/1/1	0.004
			251/1/2	0.004
			251/2	0.004
			251/3	0.010
			260	0.024
			261/1	0.004
			258/2	0.004
				0.002
			258/1	0.011
			269	0.001
				0.008
			268/1	0.006
			268/2	0.006
			319/1	0.007
			320	0.006
			321/2	0.011
			323/1	0.008
			323/2	0.006
			324	0.002
			योग निजी भूमि	0.236
खण्डवा	खालवा	मौजवाड़ी रैय्यत, प.ह.नं. 42	उपयोग हेतु प्रस्तावित	शासकीय
			भूमि का विवरण	
			1	0.002
			15	0.012
			17	0.002
			25	0.001
			247	0.001
			248	0.001
			262	0.001
			271	0.001
		योग शासकीय भूमि	08	0.021
		कुल योग (निजी+शासकीय भूमि)	37	0.257

प्ररूप "घ"
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. क.-वा-1-भू-अर्जन-2023-4366-रा.प्र.क्र. 0053-अ-59-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3515-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023, हरसूद, दिनांक 6 जुलाई 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक-02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-सैदाबाद, प. ह. नं. 15, तहसील-खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	सैदाबाद, प.ह.नं. 15	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण	
			27/2	0.010
			28/3	0.006
			30/2	0.002
			85	0.012
			101/2	0.021
			101/3/2	0.014
			101/3/1	0.028
			143/2	0.011
			143/1	0.001
			149/1	0.001
			146/1	0.023
			146/2	0.019
				0.030
			190	0.015
				0.001
			189	0.007
				0.001
			185	0.019
			360/1	0.039
			360/2	0.025
			579/2	0.001
			361	0.046
			343/2	0.020
			343/1	0.021
			340	0.013
			344/1	0.002
			307/2	0.006
			308/2	0.002
			308/3	0.023
			309/1	0.022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			56/1	0.003
			57/1	0.003
			57/2	0.004
			57/3	0.002
			59/11	0.003
			59/8	0.002
			59/5	0.003
			59/2	0.002
			61/1	0.009
			65/2/1	0.006
			65/1	0.001
			64	0.004
			72	0.002
				0.001
			157	0.006
				0.001
			156	0.007
				0.001
			73	0.010
			70/1	0.020
				0.003
			158	0.002
			159	0.012
			165	0.006
			153	0.004
			167	0.001
			162/4	0.017
				0.006
			178	0.005
				0.001
			336/1	0.008
			336/4	0.003
			334/1	0.013
			335	0.002
			330	0.003
			319	0.007
			154/2	0.005
			173	0.008
			370/2	0.015
			472/2	0.004
			518/4	0.011
			518/5	0.007
			514	0.003
			550/1	0.001
			550/2	0.003
			550/3	0.002
			553/3	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			554/3	0.002
			553/1	0.002
			554/1	0.001
				0.001
			553/2	0.003
			554/2	0.002
			555/1/1	0.009
			579/3	0.007
			580/3	0.002
			596/3	0.006
				0.003
			596/2	0.004
			596/1	0.005
			599/1	0.004
			599/5	0.006
			101/4	0.003
		योग निजी भूमि	82	0.745
खण्डवा	खालवा	सैदाबाद, प.ह.नं. 15	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण	
			1	0.009
			31	0.008
			32	0.020
			49	0.002
			87	0.026
			90	0.015
			91	0.005
			92	0.006
			76	0.002
			145	0.005
			176	0.002
			188	0.002
				0.004
			180	0.003
			328	0.005
			321	0.003
			100	0.004
			66	0.001
			375	0.001
			168	0.004
			176	0.001
				0.019
			177	0.002
				0.006
			365	0.011
			364	0.015
			338/2	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			336/2	0.001
			328	0.001
			321	0.001
			170	0.004
			175	0.007
			176	0.001
			369	0.009
			474	0.004
			475	0.001
			479	0.002
			484	0.002
			485	0.002
			520	0.002
			513	0.001
			600	0.001
			451	0.001
			584	0.001
		योग शासकीय भूमि	41	0.223
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	123	0.968

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

सरदारपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2023

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 5353-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0152-ब-121-2023-24.—अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम.-01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम.-1 आर.एम.-15 एल. एम-15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बालोदा, प.ह.नं.-87, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	बालोदा, प.ह.न. 87	19	0.041
			15/1/2	0.036
			305/2	0.002
			309/1	0.049
			312/1	0.037
			313/1	0.035
			314/2	0.004
			314/1	0.005
			315/3	0.005
			230/1	0.019
			315/2	0.006
			315/1/4	0.002
			176/2	0.028
			315/1/3	0.003
			176/3	0.020
			422/1	0.002
			315/1/2	0.003
			315/1/1	0.003
			388/1/2/2	0.013
			175	0.030
			277/2/3	0.005
			277/2/2	0.005
			277/2/1	0.005
			278/2/1	0.022
			228/3	0.016
			228/1	0.019
			225	0.011
			223	0.004
			212	0.015
			186	0.002
			187/2	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			187/1	0.014
			340/4	0.019
			340/3	0.031
			340/2	0.004
			419/1/3	0.012
			419/1/1/1	0.019
			419/1/2	0.005
			418/1/1	0.005
			419/1/1/2	0.010
			418/1/2/1/2	0.026
			419/2/1	0.012
			419/2/2	0.015
			412/2/1/4	0.008
			412/2/3	0.005
			408	0.019
			407/1/1	0.026
			404	0.055
			388/2/2	0.010
			388/2/1	0.013
			403	0.006
			454/1	0.009
			454/4	0.006
			397/5	0.014
			397/3	0.018
			397/2/2	0.008
			397/2/1	0.015
			397/1	0.026
			396/2	0.019
			460/1/1/1/1	0.072
			461	0.058
			462	0.017
			197/3	0.008
			197/2	0.008
			197/1/3/2	0.009
			197/1/3/1	0.011
			197/1/2	0.034
			194	0.003
			193/2	0.068
			173	0.084
			15/2	0.015
			18/2/4	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			18/2/3	0.019
			3/3	0.019
			18/2/2	0.014
			18/2/1	0.003
			18/1	0.010
			15/1/1	0.010
			9/4/2	0.007
			4/2	0.017
			9/4/1	0.010
			9/3	0.017
			4/3	0.015
			9/2	0.020
			4/1	0.021
			9/1	0.039
			7/3	0.044
			7/2	0.043
			7/1/2	0.020
			7/1/1	0.022
			4/4/2	0.010
			4/4/1	0.018
			2	0.128
			योग	<u>2.027</u>

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 5358-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0154-ब-121-2023-24.—अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम.-01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 20 व एल. एम. 17 तथा आर.एम.-15 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एस. एम-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सोनियाखेड़ी, प.ह.नं.-87, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

जिला	तहसील	अनुसूची		खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
धार	सरदारपुर	सोनियाखेड़ी, प.ह.न. 87		35/4	0.008
				32/1	0.004
				31	0.038
				29/5	0.026
				29/4	0.017
				52/4/1	0.020
				52/4/2	0.020
				29/3	0.017
				52/5/1	0.007
				52/5/2	0.007
				29/2	0.016
				52/3/1	0.020
				52/3/2	0.020
				29/1	0.019
				28/3	0.007
				45/1	0.004
				28/2	0.008
				45/2	0.028
				28/1	0.013
				25/2	0.061
				24	0.060
				21	0.014
				20	0.040
				52/2/2	0.076
				71/1	0.037
				47/3	0.017
				47/1	0.012
				47/2	0.021
				48/4	0.019
				52/1/1	0.019
				52/1/2	0.020
				51/1	0.007
				54/1	0.023
				54/2	0.008
				48/3	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			54/3	0.014
			55	0.032
			164	0.056
			165	0.004
			50/1	0.010
			171/1	0.069
			166/1	0.003
			170/1	0.018
			48/2	0.010
			48/1	0.010
			49	0.027
			10/1/1	0.039
			योग	<u>1.037</u>

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

पत्र क्र. 5363-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0156-ब-121-2023-24.—अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-दौलतपुरा, प.ह.नं.-72, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	दौलतपुरा, प.ह.न. 72	621 619	0.009 0.056

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			608	0.017
			504	0.024
			501	0.008
			512	0.015
			511	0.008
			513	0.019
			514	0.005
			516	0.016
			197	0.060
			198	0.017
			199	0.081
			177	0.009
			176	0.009
			174	0.005
			173	0.035
			योग	0.393

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. 5368-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0155-ब-121-2023-24.—अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी. एम.-3 पाईप नहर एवं की ब्रांच माईनर आर. एम.-08 व एल. एम.-04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-राजपुरा, प.ह.नं.-94, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	राजपुरा, प.ह.न. 94	301 303 310/1	0.073 0.004 0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			310/2	0.067
			312/1	0.012
			316	0.054
			386	0.055
			290/2	0.008
			39/3	0.042
			39/2	0.042
			290/1/1/1	0.077
			289/1	0.058
			289/2/2	0.047
			289/2/1/1	0.004
			281/1	0.065
			283	0.069
			269	0.052
			270/1	0.050
			260	0.062
			262	0.027
			258	0.034
			238	0.055
			254/6	0.026
			251/2	0.005
			254/1/1	0.005
			254/1/2	0.033
			251/1	0.004
			219	0.127
			220/2	0.008
			289/2/1/2	0.053
			289/2/1/3	0.060
			392	0.008
			391	0.063
			394/1	0.016
			394/2	0.034
			395/2	0.037
			396	0.023
			398/2	0.111
			633/1	0.012
			243	0.072
			773	0.053
			665/1/1	0.027
			101/1	0.052
			102/2	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			665/2/2	0.036
			665/4	0.040
			102/1	0.014
			691/1	0.078
			690	0.006
			689	0.070
			688	0.005
			731	0.069
			684	0.015
			772	0.004
			782	0.052
			775	0.010
			780	0.022
			790	0.003
			791	0.002
			792	0.021
			793/1	0.022
			793/2	0.015
			795/1/2	0.006
			795/2	0.007
			1/2	0.013
			10/2	0.045
			10/3/1/1	0.010
			10/3/1/2	0.065
			41	0.020
			36/2/2	0.052
			36/1/2	0.055
			46/1/1	0.054
			47/4	0.047
			103/1	0.042
			109	0.063
			108	0.071
			116	0.117
			115	0.002
			118/2	0.010
			118/3	0.016
			119/1/1	0.008
			119/1/2	0.015
			119/2	0.050
			योग	<u>3.078</u>

प्ररूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 5373-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0153-ब-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम.-01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-13, 15 एवं एल. एस. एम.-01 / आर. एम.-15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कपास्थल, प.ह.नं.-86, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	कपास्थल, प.ह.नं. 86	640	0.010
			644/1	0.026
			645	0.040
			620/1	0.020
			719/2	0.008
			717	0.022
			716	0.038
			707	0.045
			729	0.036
			732	0.006
			733	0.006
			734/1	0.047
			736	0.055
			739/2	0.016
			804/2/1	0.079
			739/1	0.015
			804/1/2	0.018
			740/3	0.010
			794/1/1	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			794/1/3/1	0.007
			798/1/1	0.021
			797	0.026
			794/1/3/1/2	0.020
			794/1/3/3	0.020
			794/1/2	0.074
			793/4	0.034
			809	0.065
			815/8	0.004
			815/9	0.047
			986	0.030
			971/1	0.094
			883/2/1	0.052
			972	0.022
			975/2	0.025
			975/3	0.027
			944/1	0.019
			870	0.069
			878	0.036
			894/1	0.142
			882	0.089
			881/1	0.008
			884	0.031
			894/2	0.003
			883/1/3	0.026
			883/2/2	0.048
			886	0.043
			802/2	0.040
			801/1	0.021
			805	0.050
			1076/2	0.043
			1074	0.058
			1065	0.013
			1070/1	0.023
			1070/2	0.035
			1069	0.020
			1029	0.050
			1171/1	0.025
			1037	0.032
			1032	0.035
			1034/2	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1016	0.033
			1015/1	0.017
			1015/2	0.019
			1014/2/2	0.005
			1014/1/4	0.033
			1014/1/3	0.033
			1013/3	0.014
			1014/1/2	0.005
			936	0.002
			935/1	0.063
			1155/1/2	0.025
			1155/1/3	0.008
			1155/2/1	0.021
			1155/2/4	0.030
			1155/2/3	0.035
			1178/2	0.070
			1180/1/2	0.006
			1180/1/1	0.016
			1180/2	0.020
			1180/3	0.020
			1180/4	0.028
			1181	0.035
			1202/1	0.008
			1171/2	0.056
			योग	<u>2.647</u>

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 5378-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0150-ब-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-05 व आर. एम.-08 एवं एल. एम.-10 तथा एल. एम.-10 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-भोपावर, प.ह.नं.-56, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

जिला	तहसील	अनुसूची		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	भोपावर, प.ह.नं. 56	2149	0.042
			2151/1	0.049
			2145	0.021
			2142/3	0.029
			2142/2	0.012
			2142/1	0.012
			2139/1	0.069
			2101/2	0.031
			2062	0.018
			2083	0.094
			2053/2	0.030
			2049/2	0.015
			2053/1	0.025
			2049/1	0.015
			2032	0.019
			1588/3/3	0.045
			1538	0.005
			1269	0.027
			1537/3/2	0.029
			1537/3/1	0.008
			1490	0.046
			1491	0.025
			1492	0.067
			1486	0.044
			1494	0.166
			1235/2	0.060
			1896	0.043
			1895/1	0.016
			1895/2	0.016
			1895/3	0.013
			1892	0.043
			1815	0.044

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1816	0.029
			2077	0.007
			2001	0.049
			2000/1	0.018
			1973/1	0.026
			1976/1	0.020
			1990	0.016
			1992	0.067
			1989/2	0.008
			1991/3	0.021
			1738	0.065
			1699/3/1	0.024
			1699/1	0.049
			1702	0.037
			1630	0.022
			1629	0.015
			1627	0.034
			1608/4	0.004
			1608/3	0.019
			1608/2	0.019
			1608/1	0.017
			702	0.065
			703	0.007
			697	0.009
			688	0.025
			335	0.020
			334	0.020
			332/3	0.031
			332/2	0.005
			339	0.005
			342	0.047
			352	0.017
			1514/1	0.034
			1516/4	0.030
			1514/2	0.033
			1516/3	0.040
			1410	0.013
			1441	0.009
				योग
				<u>2.154</u>

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 5383-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0151-ब-121-2023-24.—अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बड़बेली, प.ह.नं.-74, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	बड़बेली, प.ह.न. 74	1245/4	0.008
			1246/6	0.032
			1245/3	0.021
			1246/4	0.012
			1245/2	0.010
			1245/1	0.049
			1247/1	0.007
			1247/2	0.007
			1247/3	0.007
			1251/1	0.054
			1299	0.054
			1251/2/2	0.035
			1251/2/1	0.040
			1249/1	0.023
			1253/1	0.015
			1254	0.040
			1256	0.025
			1298	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1297	0.034
			1296/2/1	0.026
			1265	0.052
			1267/2	0.030
			1267/3	0.011
			1275/4	0.005
			1280	0.065
			1278	0.022
			1276	0.015
			1275/3	0.018
			1275/1	0.012
			1275/2	0.015
			1274	0.043
			547/1	0.046
			योग	0.838

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 5388-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0149-ब-121-2023-24.—अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर मार्गको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-श्यामपुरा ठाकुर, प.ह.नं.-75, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	श्यामपुरा ठाकुर, प.ह.न. 75	339 252	0.018 0.032

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			348	0.051
			168	0.030
			351/1	0.005
			351/3	0.005
			196/1	0.006
			347	0.014
			159	0.043
			204/2	0.053
			205/2	0.019
			205/1	0.036
			197	0.010
			156	0.027
			208/1	0.031
			209/2	0.038
			184	0.018
			158	0.021
			157	0.028
			136	0.011
			137/2	0.005
			137/1	0.041
			134	0.018
			131/1	0.033
			133	0.008
			121	0.063
			117/2	0.013
			122	0.040
			117/1/2	0.045
			योग	<u>0.762</u>

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 3 नवम्बर 2023

प्र. क्र. 05-अ-82-2023-24-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं. रकबा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्वालियर	ग्वालियर	मानपुरगिर्द	511/1 511/2/2 512/1 512/2/1 513/2/2 514/1 515/1 521 522 534 535 539/1 549/2	0.0351 0.0210 0.0132 0.0110 0.0210 0.0120 0.1027 0.0009 0.0126 0.0568 0.0929 0.0947 0.0236	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर.	ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई. टी. एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर /फलाई ओव्हर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			किता 13	0.4975		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.